जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./10/डी– 780 दिनांक 9/6/10

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पति निस्तारण समिति की 66वीं बैठक दिनांक 31.05.10 को प्रातः 11:30 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें भाग लेने वाले अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय पारित किये गये :-

क्र. सं	जो. नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		66:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन एवं 52वीं से 65वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा	**I. 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया। **II. 52वीं बैठक दिनांक 01.06.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 52वीं बैठक दिनांक 1.6.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये :– i. प्रस्ताव संख्या 52:6 श्री बंशीलाल व श्रीमति मीताक्षी मल्होत्रा को आवंटित भूमि के संबंध में उपायुक्त जोन 12 ने बताया कि बढे हुये क्षेत्रफल को आरक्षित दर की दुगुनी कीमत पर लेने के संबंध में सहमति प्रदान करने हेतु आवंटियों को पत्र जारी कर दिया गया है। किन्तु सहमति अथवा असहमति प्राप्त नहीं हुई है। राज्य सरकार को प्रकरण वास्ते स्वीकृति भिजवाया गया है। ii. प्रस्ताव संख्या 52:7(2) के संबन्ध में उपायुक्त जोन–1 ने बताया कि संस्थानिक क्षेत्र में विवादित भूखण्ड का कब्जा दिनांक 15.02.10 को लिया जा चुका है। इसके पश्चात माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी. सिविल रिट पिटीशन सं. 2558/2010 में दिनांक 18.03.10 को यथा स्थिति (Status Quo) का आदेश दिया है। प्रकरण में आई.आई.एम.ई. द्वारा एक विविध प्रार्थना पत्र भी माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसका जवाब जविप्रा द्वारा प्रस्तुत कर दिया गया है। **III. 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 61वीं बैठक दिनांक 24.12.09 में लिये गये निर्णयों की शेष अनुपालना रिपोर्ट की समीक्षा करते समय निम्नांकित निर्णय लिये गये : i. प्रस्ताव संख्या 61:11(1) नेशनल सोसायटी फॉर इंजिनियरिंग रिसर्च एण्ड डवलपमेन्ट जयपुर को सांईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

				ii. प्रस्ताव संख्या 61:11(3) इंस्टीट्यूट ऑफ इंजिनियरिंग एण्ड मैनेजमेन्ट ट्रस्ट कलकत्ता के सबंध में निर्णय लिया गया कि साईस टेक सिटी अचरोल में 30 एकड भूमि निजी विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु आवंटन करने की अभिशंषा उक्त क्षेत्र की आरक्षित दर तय करने के पश्चात् राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। **IV. 63वीं बैठक दिनांक 22.02.10:–** 1. प्रस्ताव संख्या 63:2 चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय करने बाबत। प्रार्थीया श्रीमती मुक्ता कुल श्रेष्ठ के बारे मे समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि प्रार्थीया को चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या 6/339 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के स्थान पर भूखण्ड संख्या 6/294 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर विनिमय किया जावे। भूखण्ड संख्या 6/339 जिसका क्षेत्रफल मौके पर 142.89 वर्गमीटर रह गया है उसे नीलाम किया जावे एवं कार्नर भूखण्ड संख्या 6/329 के भूखण्डधारी द्वारा 1.20 मीटर चौडाई में अधिक निर्माण कर अतिक्रमण किये गये क्षेत्र से अतिक्रमण हटाया जावे। उपायुक्त द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु प्रवर्तन शाखा को लिखा गया है व भूखण्ड की नीलामी हेतु अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण) को लिखा गया है। संबधित प्रकोष्ठ के द्वारा शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश आयुक्त महोदय द्वारा दिये गये। **V. 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10:–** 1. प्रस्ताव संख्या 64:8 इण्डोफ्रेंच कल्चरल सोसायटी को समिति द्वारा आवंटन की अभिशंषा के साथ आवंटन दर निर्धारित करने हेतु राज्य सरकार को प्रकरण भिजवाया गया है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराया जावे। 2. प्रस्ताव संख्या 64:10 रीको को ग्राम रामचन्द्रपुरा, विधाणी, जयसिंहपुरा एवं बिमलपुरा में 4.12 हैक्टयर भूमि आवटन का प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है। उपायुक्त ने बताया की राज्य सरकार ने कुछ बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण चाहा है। प्रकरण में वांछित सूचना राज्य सरकार को शीघ्र भिजवाई जावे। 3. प्रस्ताव संख्या 64:11 जयपुर शहर में नई पुलिस लाईन हेतु खसरा नं. 201, 241, 247, 248, 249 व 250 में से 5.99 हैक्टयर भूमि ग्राम जोतडावाला तहसील सांगानेर में से 15000 वर्गमीटर भूमि योजना मानचित्र का पी.डब्ल्यू.सी. की बैठक मे अनुमोदन की प्रत्याशा में संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ राज्य सरकार को भिजवाया गया है।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

61

				4. प्रस्ताव संख्या 64:13(2) रामनगरिया विस्तार योजना में 17 गैलेण्ट्री अवार्ड धारको की सूची राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाई गई है। प्रकरण की प्रगति से अवगत कराने के निर्देश उपायुक्त को दिये गये। 5. प्रस्ताव संख्या 64:13(4) में हाल सं. 1 फतेहसिंह की धर्मशाला की छत पर अवैध निर्माण को हटाने के लिये अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन) से वार्ता कर क्रियान्विति कराकर पालना से अवगत करावे। **VI. 65वीं बैठक दिनांक 03.05.10:–** 1. प्रस्ताव संख्या 65:3 अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन एवं विकलांग संस्थान को ग्राम कानोता के खसरा नं. 624 में 2000 वर्गगज भूमि आवंटित की गई थी। यह जानकारी में आया है कि संस्था के संचालक राजकीय सेवा में है। ऐसी स्थिति में प्रकरण का परीक्षण अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन) के स्तर पर किया जावे। 2. प्रस्ताव संख्या 65:4, 65:5, 65:6 में क्रमशः भारतीय सामाजिक विकास समिति, बियानी शिक्षण समिति, जयपुर, संजय शिक्षा समिति जयपुर के प्रकरणों में राज्य सरकार से मार्गदर्शन चाहा गया है। प्रकरणों में प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे। 3. प्रस्ताव संख्या 65:7 जयपुर जेवियर एज्यूकेशनल सोसायटी के संबंध में राज्य सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण की प्रगति से आगामी बैठक में अवगत कराया जावे। 4. प्रस्ताव संख्या 65:7(1) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को स्वेज फार्म में पेयजल सुविधा हेतु टंकी एवं हेंडवर्क्स बनाने के लिये जविप्रा की अनुमोदित योजना रूपविहार के सुविधा क्षेत्र में से 1500 वर्गमीटर भूमि निःशुल्क आवंटन का निर्णय लिया गया था। उपायुक्त जोन–5 को प्रकरण में वस्तुस्थिति की रिपोर्ट से शीघ्र अवगत कराने के निर्देश दिये गये। 5. प्रस्ताव संख्या 65:7(2) आर.के. यादव मेमोरियल सोसायटी को मानसिक रोग एवं नशा मुक्ति अस्पताल हेतु वैकल्पिक भूमि चिन्हिकरण हेतु उपायुक्त जोन–7 को निर्देशित किया गया।
2.	13	66:2	मोटर ड्राइवर्स ट्रेंनिग इंस्टीट्यूट की स्थापना हेतु भूमि आवंटन बाबत।	प्रस्तावानुसार ग्राम अचरोल में सृजित सांईसटेक सिटी में से 4.15 है0 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
3.	9	66:3	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी / कर्मचारियों के लिये आवासीय योजना हेतु सांगानेर के ग्राम मुरलीपुरा में आवंटित 11.11 है0 भूमि पर पुर्नविचार (Review) बाबत।	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारी / कर्मचारियों के लिये आवासीय योजना हेतु सांगानेर के ग्राम मुरलीपुरा में आवंटित 11.11 है0 भूमि पर लम्बी अवधि के पश्चात् भी कोई निर्णय नहीं किया गया है। यह क्षेत्र जविप्रा की प्रस्तावित आवासीय योजना दांतली, सिरोली, मुरलीपुरा के मध्य स्थित है। अतः एलपीसी की बैठक दिनांक 01.05.06 में लिये गये निर्णय को स्थगित करते हुए भविष्य में मांग आने पर अन्य लोकेशन पर भूमि चिन्हित कर कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

4.	10	66:4	भूखण्ड संख्या ई–136, झालाना कच्ची बस्ती के बदले भूखण्ड संख्या एच–731 ऋषि गालव नगर हेतु मांगी गई राशि के सबंध में निर्णय हेतु।	प्रस्तावानुसार विनिमय किये गये भूखण्ड सं0 731एच के लिये दोबारा राशि मांगने का कोई औचित्य नहीं है। अतः दोबारा नजराना राशि की मांग को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
5.	2	66:5	माननीय पूर्व उपराष्ट्रपति महोदय श्री भैरोसिंह शेखावत स्मृति स्थल के लिये विधाधरनगर स्टेडियम के पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये पूर्व में आरक्षित भूमि में से स्थित 5600 वर्गमीटर भूमि आरक्षित की गई उसकी कार्योत्तर स्वीकृति।	राज्य सरकार के निर्देशानुसार स्मृति स्थल के लिये विधाधरनगर स्टेडियम के पास सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये जविप्रा की आरक्षित भूमि में से 5600 वर्गमीटर भूमि अब श्री भैरोसिंह शेखावत स्मृति स्थल के लिये आरक्षित की गई। अनुमोदन हेतु प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
6.	9	66:6	नारी चेतना समिति को एलपीसी की 64वीं बैठक दिनांक 05.04.10 को रामनगरिया योजना में आवंटित भूखण्ड पर पुर्नविचार करने के संबंध मे।	पूर्व मे संस्था को आवंटित भूमि पार्क/सुविधा क्षेत्र में स्थित होने के कारण विचार–विमर्श कर यह निर्णय लिया गया कि संस्था के लिये 500 वर्गमीटर आवसीय भूमि इसी योजना में अन्यत्र दी जावे। प्रकरण स्वीकृति हेतु राज्य सरकार को भिजवाया जावे।
7.	9	66:7	रघुकुल शोध एवं तकनीकी संस्थान को महिला कॉलेज हेतु 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 के निर्णय पर पुर्नविचार कर आवंटित भूमि की मात्रा एवं दर निर्धारण बाबत।	प्रकरण में एलपीसी की 43वीं बैठक दिनांक 15.12.07 को खसरा नं. 445 ग्राम गोनेर में मौके पर भौतिक सत्यापन कर प्रस्तावानुसार नॉर्म्स के अनुसार आवंटन की कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया था। भौतिक सत्यापन कराने पर उक्त खसरा नं. में 3.66 है0 भूमि उपलब्ध होना पाया गया। प्रमुख शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान के पत्र दिनाक 30.08.07 मे निजी महिला महाविद्यालय हेतु 2000 वर्गमीटर भूमि के नॉर्म्स निर्धारित किये गये है। अतः 2000 वर्गमीटर भूमि के नॉर्म्स निर्धारित किये गये है। अतः विचार–विमर्श कर संस्था को 2000 वर्गमीटर भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।

आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–

1.	14	66:7(1)	सालिगरामपुरा योजना में भूखण्ड संख्या ए–49 के बढे हुए क्षेत्रफल का आवटन एवं दर तय करने अथवा निलामी के संबंध में निर्णय करने बाबत।	भूखण्ड संख्या ए–49 में बढा हुआ क्षेत्रफल 121.50 वर्गमीटर है जिस पर स्वतन्त्र भूखण्ड सृजित किया जा सकता है। अतः आवंटी की अतिरिक्त जमा राशि उसे वापस लोटाई जाने तथा बढे हुए क्षेत्रफल को निलामी से विक्रय करने का निर्णय लिया गया।
2.	9	66:7(2)	श्री राजपूत सभा भवन को छात्रावास हेतु ग्राम श्री किशनपुरा में आवंटित 6000 वर्गमीटर भूमि के दर निर्धारण के संबंध मे।	वर्तमान आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।

उप० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

3.	12	66:7(3)	एयर फोर्स नेवल हाउसिंग बोर्ड को भूमि आवंटन के सबध में।	प्रस्तावानुसार आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।
4.	2	66:7(4)	नेशनल हैल्थ इन्स्टीट्यूट एवं मेडिकल रिसर्च सेन्टर को सुभाष नगर, झोटवाडा रोड, जयपुर पर आवंटित भूमि 966.18 वर्गमीटर से लगती अतिरिक्त भूमि जो लगभग 34.40 वर्गमीटर भूमि आवंटन करने के क्रम में।	अतिरिक्त भूमि 34.40 वर्गमीटर को व्यावसायिक आरक्षित दर पर आवंटन का निर्णय लिया गया। प्रकरण राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ भिजवाया जावे।
5.	7	66:7(5)	अजमेर रोड पुलिया को जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा चौडा करने से प्रभावित दुकान संख्या 1 ग्राम सुशीलपुरा के मालिक को चित्रकूट योजना में व्यवसायिक भूखण्ड संख्या 59 का आवंटन बाबत।	प्रकरण में आवश्यक जांच पूरी की जाकर आगामी बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया।
6.	7	66:7(6)	भूखण्ड संख्या सी–252 गोविन्दपुरा करधनी के विनिमय में भूखण्ड संख्या डी–335 गोविन्दपुरा करधनी दिये जाने बाबत।	प्रस्तावानुसार विनिमय का निर्णय लिया गया।
7.	13	66:7(7)	अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम एवं अन्य संबंधित सेवाओं के लिये भूमि आवंटन बाबत।	माननीय मंत्री नगरीय विकास विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 03.04.10 को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि "जयपुर विकास प्राधिकरण आर.सी.ए. को विधिवत भूमि आवंटन की शर्तें एवं आवंटन की दर के संबध में प्रस्ताव राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करेगा"। प्रकरण बैठक में प्रस्तुत हुआ। राजस्थान इम्प्रुवमेन्ट ट्रस्ट (डिस्पोजल ऑफ अरबन लैण्ड) रूल्स 1974 के नियम 18ए व 19 के अनुसार पब्लिक, चेरिटेबल अथवा अन्य संस्थान को राजस्थान सोसायटीज एक्ट 1965 या राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट 1959 या सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के अन्तर्गत पंजीबद्ध होना आवश्यक है। दी राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन जयपुर राजस्थान (क्रीडा संगमों का रजिस्ट्रीकरण, मान्यता और विनियमन) अधिनियम 2005 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। अतः उक्त बिन्दु पर निर्णय हेतु प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित किया जाये। साथ ही प्रस्तावित स्थान ग्राम चौंप में नॉलेज सिटी नॉर्थ के लिये आरक्षित भूमि में स्थित होने के कारण उसकी भी अनुमति राज्य सरकार से प्राप्त की जावें। दिनांक 28.05.2010 को राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के क्रम में राजस्थान क्रिकेट एसोसियेशन को ग्राम चौंप स्थित नॉलेज सिटी नार्थ के लिये आरक्षित भूमि मे से प्रस्तावानुसार उपलब्ध 18.16 है0 भूमि संस्थानिक आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशषा उक्तानुसार वस्तुस्थिति की रिपोर्ट के साथ प्रकरण राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाने का निर्णय लिया गया।

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

8.	1, 9	66:7(8)	श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा की भूमि खसरा नं. 111/194 रकबा 2 बिस्वा ग्राम मानपुर देवरी, तहसील जयपुर की एवज में रामनगरिया आवासीय योजना में भूखण्ड आवंटन के क्रम में।	प्रस्तावानुसार श्री सुरेन्द्र कुमार गोलछा की भूमि खसरा नं. 111/194 रकबा 2 बिस्वा ग्राम मानपुर देवरी, तहसील जयपुर की डीएलसी दर व रामनगरिया आवसीय योजना की डीएलसी दर के अनुपात में अवाप्त भूमि के बदले गणना करने पर जो क्षेत्रफल आता है। उसे रामनगरिया आवासीय योजना में प्रस्तावानुसार उपलब्ध भूखण्डों में से आवंटन का निर्णय लिया गया।
9.	14	66:7(9)	देव शिक्षा समिति जयपुर को संस्था हेतु ग्राम बीलवा कलां तहसील सांगानेर के ख.नं. 2035 रकबा 16.81 है0 में से 12.50 है0 भूमि आवंटित किये जाने बाबत।	संस्था ने प्रोजेक्ट रिपोर्ट व उच्च शिक्षा विभाग से लेटर ऑफ इन्टेन्ट (LOI) प्रस्तुत नहीं किया है। संस्था के निदेशक को निर्देशित किया गया कि वे सम्पूर्ण सूचना प्रस्तुत करे, तत्पश्चात् आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण देने के लिये उपस्थित होवे।

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
3. जिला कलक्टर, जयपुर
4. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
5. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
8. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
9. निदेशक(वित्त/अभि0/आयोजना), जविप्रा, जयपुर
10. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व/पश्चिम/एल.पी.सी./भूमि), जविप्रा, जयपुर
11. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
12. उपायुक्त जोन-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
13. जन सम्पर्क विशेषाधिकारी, जविप्रा, जयपुर
14. रक्षित पत्रावली

सदस्य सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 66वी बैठक दिनांक 31.05.10 में उपस्थित अधिकारियों की सूचीः–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री सुधांश पंत, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती गायत्री राठौड, सचिव	सदस्य
3.	श्री ओ.पी. दोराया निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
4.	श्री डी.सी. जबडा निदेशक (वित्त)	सदस्य
5.	श्री शफी मोहम्मद कुरेशी, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व एवं एलपीसी)	सदस्य सचिव
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (प्रशासन)	सदस्य
7.	श्रीमती दुर्गा जोशी, अतिरिक्त आयुक्त (भूमि)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसेन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति निस्तारण)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री पी. अरविन्द, एस.टी.पी. (एम.पी.)	विशेष आमंत्रित
10.	श्री गिरीराज अग्रवाल, उपायुक्त जोन–1	विशेष आमंत्रित
11.	श्री नरेन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
12.	श्री एस मित्रा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
13.	श्री अनिल अग्रवाल, उपायुक्त जोन–9	विशेष आमंत्रित
14.	श्री औंकार मल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
15.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–12	विशेष आमंत्रित
16.	श्री संजय जैन, उपायुक्त जोन–14	विशेष आमंत्रित
17.	श्री नरेश रायजादा, तहसीलदार जोन–5	विशेष आमंत्रित